न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, कोर्ट भोपाल

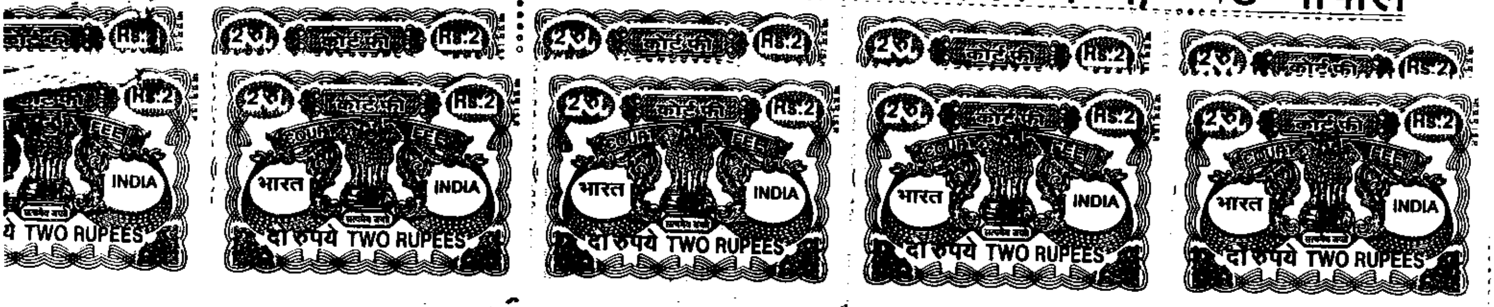

मनोज गौर आयु करीब 35 वर्ष PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3580
आत्मज श्री रामेश्वर गौर निवासी–ग्राम रायपुर
तहसील व जिला होशंगाबाद——————————————याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमति माया बड़कुर आयु करीब 32 वर्ष
पत्नि श्री रामकिशोर बड़कुर निवासी–ग्राम निमसाड़िया
तहसील व जिला होशंगाबाद——————————————उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता :–

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा द्वितीय अपीलीय प्रकरण क्र. नवीन/अपील/16–17 जिसके पक्षकार मनोज गौर बनाम माया बड़कुर है, में पारित आदेश दिनांक 21/09/2017 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3580 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया है । अतः इस प्रकरण में केवल स्थगन का बिन्दु ही विचारणीय है । सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के वादग्रस्त आदेश दिनांक 21–9–2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–2017 का क्रियान्वयन आगामी 90 दिवस के लिये स्थगित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	26/9/17